रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च ३० 1976/चैत्र 10, 1898
No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1976/CHAITRA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March 1976

S.O. 261(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

BYE-ELECTION TO THE COUNCIL OF STATES BY THE ELECTED MEMBERS OF THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Shrimati Ambika Soni, House No. 411/1, Bajwara, District Hoshiarpur has been duly elected to fill the vacancy in the Council of States caused by the death of Shri Gurmukh Singh.

PLACE: Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh-160001.

DATE: 28-3-1976.

Sd/-
Returning Officer for Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Punjab Legislative Assembly (Secretary Punjab Legislative Assembly)."

[No. F 13(2)/76-Leg. II]
E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का० आ० 261 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें उस अभ्यर्थी का नाम है जो राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हो गई है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि श्रीमती अम्बिका सोनी, मकान नं० 411/1, बजवारा, जिला होशियारपुर, राज्य सभा में, श्री गुरमुख सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : पंजाब विधान सभा
सचिवालय,
चंडीगढ़–160001
तारीख : 28–3–1976

हस्ता०/–
पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के उप-निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर (सचिव, पंजाब विधान सभा)।"

[फा० सं० 13 (2)/76-विधा० II]

ई० वेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976